


राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक एफ.1(बी.एड)स्था./निकाशि/2012/260

दिनांक: 11-7-2012

कार्यालय आदेश

निर्देशानुसार राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के अन्तर्गत राज्य के अनुदानित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से राज्य सेवा में समायोजन हेतु आये व्याख्याताओं में से डॉ. सत्यनारायण खरींटा एवं श्रीमती रचना भारद्वाज (पूर्व नियोक्ता महाविद्यालय - विद्याभवन गो.से शिक्षक महाविद्यालय, उदयपुर) को यथावत् आगामी आदेशों तक सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर, कॉलेज शिक्षा में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।




(सुबीर कुमार)

निदेशक, कॉलेज शिक्षा एवं
पदेन विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा

क्रमांक एफ.1(बी.एड)स्था./निकाशि/2011/260

दिनांक: 11.7.2012

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-
1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 6. शासन उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 7. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 9. संयुक्त निदेशक (स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 10. संयुक्त निदेशक (अनुदान), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 11. लेखाधिकारी, शिक्षा गुप-5, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
 12. संबधित सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
 13. संबधित संस्था सचिव/प्राचार्य, अनुदानित महाविद्यालय/ संबधित शिक्षक।
 14. नोडल ऑफिसर वेबसाईट, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 15. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (प्रशासन)